बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

संख्या–2/एम–17/2017– 1233(4) पटना, दिनांक– 29/10/2018

"बिहार चिकित्सा सेवा संस्थान एवं व्यक्ति सुरक्षा अधिनियम, 2011 की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल उक्त अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु निम्नांकित नियमावली बनाते है :–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ** :–
   (1) यह नियमावली "**बिहार चिकित्सा सेवा संस्थान एवं व्यक्ति सुरक्षा नियमावली, 2018**" कहलाएगी ।
   (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
   (3) यह इसके राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होगी

2. **परिभाषाएँ** :–जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ के विरुद्ध न हो, इस नियमावली में :–
   (1) **"अधिनियम"** से अभिप्रेत है बिहार चिकित्सा सेवा संस्थान एवं व्यक्ति सुरक्षा अधिनियम, 2011 (समय–समय पर यथा संशोधित)
   (2) **"धारा"** से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा;
   (3) **"शिकायत"** से अभिप्रेत है, यथास्थिति हिंसा/संपत्ति की क्षति/चिकित्सीय लापरवाही के आरोप,
   (4) **"लापरवाही"** से अभिप्रेत है चिकित्सीय देख–रेख में लापरवाही;
   (5) **"संपत्ति"** से अभिप्रेत है, चल या अचल, मूर्त या अमूर्त कोई भी संपत्ति (सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के उपबंधों के अधीन) या अस्पताल तथा चिकित्सा अभिलेख या चिकित्सा उपस्कर या चिकित्सा मशीनरी या कोई ऐसी संपत्ति शामिल है जो किसी चिकित्सीय व्यक्ति या चिकित्सा सेवा संस्थान के स्वामित्व में हो या कब्जे में हो या संविदा के अधीन हो;
   (6) **"योग्य चिकित्सक"** से अभिप्रेत है चिकित्सा व्यवसाय से संबंधित शाखा में अहर्ता प्राप्त सक्षम चिकित्सक;
   (7) **"जाँच"** से अभिप्रेत है योग्य चिकित्सकों की समिति द्वारा विशेषज्ञ चिकित्सा राय हासिल करने की प्रक्रिया;
   (8) **"कार्रवाई करना"** से अभिप्रेत है, आगे की कार्यवाही के लिए जाँच के परिणाम को संबंधित कार्यालय को अग्रसारित करना अथवा प्रदत्त परिस्थितियों में अन्यथा कार्य करना,
   (9) इसमें प्रयुक्त और अपरिभाषित किन्तु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों, के वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में क्रमशः उनके लिए समानुदेशित किए गए हों।

अध्याय–1
(धारा 3 एवं 4 के अधीन नियम)

3. **एहतियाती एवं निवारक उपाय :–**
चिकित्सा व्यवसायियों तथा संस्थानों पर होनेवाली हिंसा को रोकने के लिए जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक :

(1) जिला एवं स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारी तथा चिकित्सा संगठनों के साथ मिल कर ऐसे चिकित्सा सेवा संस्थानों एवं व्यक्तियों की पहचान करेंगे जहाँ ऐसा विश्वास करने का कारण हो कि हिंसा हो सकती है या जहाँ इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के पुनः घटित होने की संभावना हो;

(2) ऊपर कंडिका–3(i) में चिन्हित किए गए चिकित्सा संगठनों का सुरक्षा अंकेक्षण पुलिस उपाधीक्षक कोटि के पदाधिकारी से किए जाने का आदेश दे सकेंगे। अंकेक्षण प्रतिवेदन के आधार पर अथवा अन्यथा चिकित्सा संगठन एवं वहाँ कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा हेतु निम्न कार्रवाई करने का निदेश दे सकेंगे:–
   (क) राज्य सरकार से अनुज्ञप्ति प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों के कर्मियों की सुरक्षा हेतु प्रतिनियुक्ति ।
   (ख) परिसर के अन्दर सी०सी०टी०वी० कैमरों का अधिष्ठापन ।
   (ग) चहारदीवारी, रौशनी, इत्यादि की व्यवस्था ।
   (घ) अन्य कोई कार्रवाई जो स्थानीय संदर्भ में आवश्यक हो।

(3) चिकित्सा निकाय, स्थानीय प्रशासन तथा इलाके के प्रमुख व्यक्तियों के साथमिलकर नियमित अन्तराल पर चिकित्सक–रोगी संबंध विषय पर कार्यशालाएँ आयोजित करेंगे;

(4) जिले के प्रमुख स्थलों पर होर्डिंग लगवाएँगे, जिनमें इस कार्य के प्रमुखबिन्दुओं को दर्शाया जाएगा।

4. **संबंधित थाना के प्रभारी पदाधिकारी :**

(1) स्थानीय चिकित्सा प्राधिकारी तथा संगठन के परामर्श से, असुरक्षित ढ़ाँचों की पहचान करेंगे तथा उनके आस–पास नियमित गश्त सुनिश्चित करेंगे;

(2) ई–मेल या टेलीफोन कॉल के माध्यम से या किसी पीड़ित व्यक्ति से याकिसी ऐसे व्यक्ति से जिस पर विश्वास करने का कारण हो, से विश्वसनीय सूचना प्राप्त करने के पश्चात् कि चिकित्सा सेवा संस्थान या व्यक्तियों पर हिंसा तथा संस्थान के संपत्ति की क्षति की जा रही है अथवा किये जाने की संभावना है और ऐसी आपात स्थिति में खतरे से घिरे हुए संस्थान (संस्थानों) तथा व्यक्ति (व्यक्तियों) की सुरक्षा के लिए परिस्थिति को तितर–बितर करने हेतु संबंधित पुलिस अधीक्षक के निदेश व अधीन पर्याप्त पुलिस बल को तैनात किया जाय, यथोचित समय के भीतर कार्रवाई करेंगे।

5. **अधिनियम की धारा 3 एवं 4 के अधीन हिंसा की शिकायत :–** जिस चिकित्सा सेवा संस्थान में अपराध किया गया है उसके प्रधान या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि या ऐसा कोई व्यक्ति या व्यक्तिगण जिसके साथ चिकित्सा सेवा प्रदान करने के दौरान हिंसा की गयी हो, को उस थाने के प्रभारी पुलिस पदाधिकारी, जिसके क्षेत्राधिकार

के अधीन अपराध किया गया हो, के पास "फारम–1" में इस अधिनियम के अधीन शिकायत करने की शक्ति होगी।

6. **हानि और क्षति हेतु साक्ष्य संग्रह :**
साक्ष्य में स्वीकार्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से जुटाए गये साक्ष्य की अनुमति देनेवाले अधिनियम 2000 का 21 द्वारा साक्ष्य अधिनियम में किये गये संशोधनों के साथ यह अनुशंसा की जाती है कि–

(1) यदि थाने या कानून को लागू करनेवाले अन्य अभिकरण के प्रभारी पदाधिकारी की यह राय हो कि किसी सीधी कार्रवाई, चाहे वह घोषित हो या अघोषित, से चिकित्सीय संपत्ति की बर्बादी या क्षति की संभावना है तो वह स्वयं वीडियो ऑपरेटरों की सेवाएँ प्राप्त करेगा। इसके लिए प्रत्येक थाने को यह शक्ति होगी कि वह स्थानीय वीडियो ऑपरेटरों का एक पैनेल रखे जिनकी सेवा अल्पावधि नोटिस पर प्राप्त की जा सके।

(2) सार्वजनिक/चिकित्सा संस्थानों तथा प्रेस द्वारा लिये गये स्टिल फोटोग्राफ, वीडियो फुटेज का उचित प्रमाणन के पश्चात्, न्यायालय के समक्ष साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जाएगा।

अध्याय–2

7. **अधिनियम की धारा 3क के अधीन चिकित्सीय लापरवाही की शिकायत :–** यह नियमावली उन चिकित्सकों पर लागू होगी जो भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 और/या भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 के अधीन रजिस्ट्रीकृत हैं।

(1) पीड़ित या उसके निकट संबंधी को शक्ति होगी कि वह "फारम–2" में किसी चिकित्सक या संस्थान के विरुद्ध चिकित्सीय लापरवाही की शिकायत दर्ज करा सके;

(2) किसी निजी शिकायत पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि शिकायतकर्त्ता, अभियुक्त चिकित्सक की ओर से की गयी लापरवाही या उतावलेपन के आरोप के समर्थन में अधिनियम की धारा 3क के अधीन यथाविहित योग्य चिकित्सकों की समिति द्वारा दिए गए विश्वसनीय राय के रूप में न्यायालय के समक्ष प्रथमदृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर दे ।

(3) यदि किसी थाने में चिकित्सीय लापरवाही की कोई शिकायत दर्ज की जाती है, तो जाँच पदाधिकारी, उतावलेपन का या लापरवाहीपूर्ण कार्य या चूक के अभियुक्त चिकित्सक के विरुद्ध कार्यवाही चलाने के पूर्व मामले को संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को भेज कर एक स्वतंत्र और सक्षम चिकित्सकीय राय प्राप्त करेगा। जिला मजिस्ट्रेट को यह शक्ति होगी कि वह मामले की जाँच अधिमानतः सरकारी सेवा के योग्य चिकित्सकों की एक समिति द्वारा कराए, जो चिकित्सा व्यवसाय की उस शाखा में अहर्ता प्राप्त हों तथा जिससे सामान्यतः निष्पक्ष तथा पक्षपात–रहित राय देना अपेक्षित हो ।

(4) अभिहित समिति के प्रतिवेदनों के आधार पर, यदि प्रथमदृष्ट्या चिकित्सीय लापरवाही का मामला बनता है तो जाँच पदाधिकारी मामले में आगे की कार्यवाही करेगा ।

(5) जब कभी किसी चिकित्सक या अस्पताल के विरुद्ध उपभोक्ता फोरम द्वारा (चाहे वह जिला, राज्य स्तरीय हो या राष्ट्रीय स्तरीय) या दंड न्यायालय द्वारा शिकायत प्राप्त हो तो जिस चिकित्सक या अस्पताल के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई है उसके विरुद्ध नोटिस जारी करने के पूर्व, उपभोक्ता फोरम या दंड न्यायालय मामले को पहले चिकित्सीय लापरवाही का आरोप लगाये जाने से संबंधित क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त सक्षमचिकित्सकोंकी समिति से विशेषज्ञ राय हेतु संबंधित जिला मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा और यह प्रतिवेदन प्राप्त हो जाने के पश्चात प्रथमदृष्टया चिकित्सीय लापरवाही का मामला बनता है, संबंधित चिकित्सक/अस्पताल को तब नोटिस जारी किया जाएगा। जिन चिकित्सकों को अंततः लापरवाह न पाया जाए उनकी परेशानी के निवारण का ध्यान रखना आवश्यक होगा।

(6) उतावलेपन या लापरवाही के अभियुक्त किसी चिकित्सक को रूटीन रीति से गिरफ्तार नहीं किया जाएगा (केवल इसलिए कि उसके विरुद्ध आरोप लगाया गया है)। जब तक आगे के अन्वेषण के लिए या साक्ष्य इकट्ठा करने के लिए गिरफ्तारी आवश्यक न हो या जब तक जाँच पदाधिकारी इससे संतुष्ट न हो जाए कि बिना गिरफ्तारी के चिकित्सक जिसके विरुद्ध कार्यवाही चलाई जा रही है स्वयं अभियोजन के समक्ष उपस्थित नहीं होगा, तब तक गिरफ्तारी रोक रखी जाएगी;

8. **पुलिस पदाधिकारी द्वारा अन्वेषण की रीति** :

(1) अधिनियमन की धारा 3क के उपबंधों के अधीन, शिकायत दायर करते समय शिकायतकर्त्ता, चिकित्सीय लापरवाही से संबंधित साक्ष्य के समर्थक दस्तावेज तथा गवाहों के नाम और पता के साथ, शिकायत–पत्र की तीन प्रतियाँ प्रस्तुत करेगा।

(2) शिकायत प्राप्त होने पर, जाँच पदाधिकारी व्यथित व्यक्ति से प्राप्त शिकायत पत्र की एक प्रति, सात कार्य दिवसों के भीतर, प्रतिवादी को प्रेषित करेगा।

(3) प्रतिवादी शिकायत के बारे में अपना जवाब, दस्तावेज प्राप्त होने की तारीख से दस कार्य दिवसों के भीतर, समर्थक दस्तावेजों की सूची के साथ दायर करेगा।

9. शिकायत की जाँच करने की रीति : (1) जवाब प्राप्त होने के बाद जाँच पदाधिकारी शिकायत की प्रति तथा प्रतिवादी के जवाब को संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को अग्रसारित करेगा जो, इन कागज–पत्रों को अधिनियम धारा–3क के उपबंधों के अधीन, उसके द्वारा अधिसूचित योग्य डाक्टरों की समिति को उपलब्ध कराएगा।

(2) योग्य चिकित्सकों की समिति, सुसंगत कागज–पत्रों की प्राप्ति के पश्चात् दस कार्य दिवसों की अवधि के भीतर, अपनी विशेषज्ञ राय समर्पित करेगी।

(3) जाँच का परिणाम, अधिनियम के अधीन आगे की कार्यवाही तथा शिकायत के समय लागू कानून के प्रावधानों के आधार पर तैयार करेगा।

10. कोई भी न्यायालय चिकित्सीय लापरवाही के अभियुक्त किसी चिकित्सक के विरुद्ध तब तक संज्ञान नहीं लेगा जब तक कि अधिनियम में यथाविहित रीति से प्राप्त विशेषज्ञ राय में प्रथमदृष्ट्या मामला बनने के पर्याप्त साक्ष्य न मिल जाता ।

11. अधिनियम के अधीन, सद्भावपूर्वक किये गये अथवा किए जाने के लिए आशयित किसी कार्य के लिए किसी सरकार या सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति या पदाधिकारी या किसी चिकित्सा सेवा संस्थान के प्रधान या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य कानूनी कार्यवाही नहीं होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
25.10.18
(अनिल कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–2/एम–17/2017 1233(2) पटना, दिनांक– 29/10/2018

प्रतिलिपिः–वित्त विभाग, ई–गजट शाखा को सी०डी० सहित दो प्रतियों में इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया जाता है कि इसे बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ स्वास्थ्य विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जाय।

25.10.2018
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–2/एम–17/2017– 1233(4) पटना, दिनांक 29/10/2018

प्रतिलिपिः–मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/विधि विभाग/सामान्य प्रशासन विभाग/वित्त विभाग/गृह विभाग/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि–:माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, के आप्त सचिव/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/सभी प्राचार्य एवं अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, बिहार, पटना/सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/सभी सिविल सर्जन, बिहार, पटना/निदेशक, लोकनायक जय प्रकाश नारायण हड्डी अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना/न्यू गार्डिनर रोड अस्पताल, पटना/राजेन्द्र नगर अतिविशिष्ट नेत्र अस्पताल, पटना/मानसिक आरोग्यशाला, कोईलवर, भोजपुर/अधीक्षक, गुरूगोविन्द सिंह अस्पताल, पटना सिटी, पटना/संक्रामक रोग अस्पताल, अगमकुआँ, पटना/लेडि एल्गिन जनाना अस्पताल, गया/एम०जे०के० अस्पताल, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपिः– आई० टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

25.10.2018
सरकार के संयुक्त सचिव

फार्म–1
(नियम–7 देखें)

अधिनियमन की धारा 3के अधीन हिंसा की घटना और संपत्ति के नुकसान अथवा हानि का प्रतिवेदनः

1.	**शिकायतकर्त्ता या व्यथित व्यक्ति का विवरण**
	नामः उम्रः वर्तमान पताः स्थायी पता : फोन/मोबाइल नं०:
2.	**जिस व्यक्ति के लिए शिकायत की जा रही है उसका विवरण (व्यथित व्यक्ति के अक्षम/अयोग्य होने की स्थिति में)**
	नाम : उम्र : व्यथित व्यक्ति से सम्बन्ध : पता : फोन/मोबाइल नं० :
3.	**घटना का विवरण**
	घटना की तारीखः घटना स्थल : हिंसा एवं संपत्ति के नुकसान में शामिल व्यक्ति (व्यक्तियों) के नाम : हिंसा की प्रकृति संपत्ति के नुकसान तथा हानि का विवरण : नुकसान हुई संपत्ति की अनुमानित लागतः
4.	**संलग्न दस्तावेजों की सूची**
5.	(क) शिकायतकर्त्ता या व्यथित व्यक्ति को पुलिस सहायता की जरूरत (ख) जरूरी कानूनी मदद तथा दांडिक कार्यवाही शुरू करने हेतु सहायता
6.	**किसी हिंसा एवं नुकसान या हानि प्रतिवेदन को दर्ज कराने में पुलिस सहायता हेतु अनुदेश**

नोटः 1. आवश्यक होने पर पृथक् पन्ना का प्रयोग करें ।

2. इस फारम में दी गयी सूचना से जब कभी यह पता चले कि अपराध भारतीय दंड संहिता या किसी अन्य कानून के अधीन है, तो पुलिस पदाधिकारी व्यथित व्यक्ति को बताएगा कि वह दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1973 का 2) के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा कर दांडिक कार्यवाही भी प्रारंभ कर सकता है।

(संस्था प्रधान/प्रतिनिधि/व्यक्ति का हस्ताक्षर)

स्थान :

तारीख :

नामः

पताः

मोहरः

फार्म–2
(नियम–8–क देखें)

अधिनियम की धारा 3 के अधीन किसी चिकित्सक/संस्था के विरुद्ध चिकित्सीय लापरवाही की शिकायत

शिकायतकर्त्ता या पीड़ित का विवरण
नाम : उम्र : वर्तमान पता : स्थायी पता : फोन/मोबाइल नं०:
संक्षेप में शिकायत :
जिस चिकित्सक/संस्थान के विरुद्ध शिकायत है उसका नाम : चिकित्सक/संस्थान का पता : फोन/मोबाइल नं० (यदि उपलब्ध हो) :
चिकित्सीय लापरवाही के समर्थक दस्तावेजों की सूची 1. 2. 3. 4. 5. 6.
क्या विशेषज्ञ राय संलग्न है ? : हाँ/ नहीं

नोट : आवश्यक होने पर पृथक पन्ना का प्रयोग करें

1. इस फारम में दी गयी सूचना से जब कभी यह पता चले कि अपराध भारतीय दंड संहिता या किसी अन्य कानून के अधीन है तो पुलिस पदाधिकारी व्यथित व्यक्ति को बताएगा कि वह दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1973 का 2) के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा कर दांडिका कार्यवाही भी प्रारंभ कर सकता है।

स्थान :

(पीड़ित/पीड़ित के संबंधी का हस्ताक्षर)

तारीख:

नाम :
पता :